नागरिक अधिकार पत्र
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान

हमारी प्रतिबद्धताएंः

1. भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण एवं उसके उन्मूलन के लिए सजग रहकर कार्यवाही करना।
2. भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट लोक सेवकों के बारे में आसूचना का प्रभावी संकलन, विश्लेषण एवं उस पर तत्काल क्रियान्वयन।
3. निष्पक्ष, दक्ष एवं शालीन तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह करना।
4. जनता को भ्रष्ट गतिविधियों एवं लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही करने में सहयोग देने हेतु प्रेरित करना।
5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों की पालना करना।
6. ब्यूरो में दर्ज ट्रेप के अभियोगों का 3 माह में, आय से अधिक सम्पत्ति के अभियोगों व पद के दुरुपयोग के बारे में दर्ज अभियोगों का 1 वर्ष में निस्तारण करना।
7. पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रदर्श तत्काल भेजना व शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करना।
8. ब्यूरो में दर्ज परिवादों का निस्तारण 3 माह में एवं प्राथमिक जांच का निस्तारण 6 माह में करना।
9. न्यायालयों से प्राप्त सम्मन/वारन्ट की समयबद्ध तामील सुनिश्चित करना।

जनता के अधिकारः

1. लोक सेवकों द्वारा जनता के जायज कार्य तत्काल ईमानदारी से संपन्न किया जाना।
2. लोक सेवकों द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत की सूचना ब्यूरो को देकर, उन्हें पकड़वाना।
3. यथोचित समय में जायज कार्य न हो तो संबंधित उच्च अधिकारियों को शिकायत करना।
4. निर्माण/विकास कार्यों में अनियमितता/घोटाला एवं सरकारी धन के दुरूपयोग की सूचना ब्यूरो को लिखित में देना।
5. ब्यूरो में दर्ज करवाई शिकायत की जानकारी का अधिकार।
6. भ्रष्ट लोक सेवकों के पास आय से अधिक सम्पत्ति होने की सूचना देने का अधिकार।

7. परिवादी के वैद्य कार्य नियमानुसार अविलम्ब होने का अधिकार।
8. महत्वपूर्ण सूचना देने पर ब्यूरो द्वारा नाम गोपनीय रखना।

जनता से अपेक्षाएंः

भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास जनता और राजकीय विभागों/संगठनों के यथोचित सहयोग के बिना सफल नही हो सकते हैं। जनता से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने जायज कार्यो के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को लोक सेवकों को रिश्वत एवं प्रलोभन में न दें और रिश्वत की मांग किए जाने पर इसकी तत्काल ब्यूरो के अधिकारियों को सूचना देवें। इसी प्रकार अनेक विभागाध्यक्षों के पास जैसे ही अपने अधीनस्थ लोक सेवकों की भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अंकेक्षण रिपोर्ट या परिवाद या अन्य स्त्रोतों से सूचना आती है तो अपने स्तर पर उसका प्रारम्भिक सत्यापन कर सच्चाई पाई जाने पर तत्काल सूचना ब्यूरो मुख्यालय/चौकियों को दी जावें। यदि संभव हो तो लोक सेवकों के भ्रष्ट आचरण का ऑडियो/विडियो रिकार्ड कर बिना काट–छांट के ब्यूरो से शेयर करे।

ब्यूरो मुख्यालय जे–9 एवं जे–1, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना, जयपुर में है, टोल फ्री नं0 1064, व्हाटसअप हैल्पलाईन नं0 94135–02834, दूरभाष नम्बर 2712263/2715786 व विभागीय ईमेल itcell.acb@rajasthan.gov.in अनवरत रूप से दिन–रात कार्यरत है। इसके अलावा ब्यूरो चौकियों पर भी टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुये भ्रष्ट लोक सेवकों की सूचना तत्काल ब्यूरो को देकर इस बुराई से लडने में मदद करें।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का ''नागरिक चार्टर''

हमारे लक्ष्यः

1. शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना।
2. आम नागरिक को भ्रष्ट लोक सेवकों के चंगुल से मुक्त करना।
3. भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान कर उनके विरूद्ध आसूचना संकलन कर कानून सम्मत कार्यवाही करना।
4. संगठित भ्रष्टाचार यथा कमीशन, कट बंधी इत्यादि पर प्रभावी अंकुश।

हमारे मूल्यः

1. सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना।
2. भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्यवाही तथा परिवादी के वैद्य हितों की रक्षा करना।
3. व्यक्तिगत आचरण, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के उच्चतम मानदण्ड स्थापित करना।
4. संवेदनशीलता, व्यावसायिक दक्षता एवं उपयुक्त पारदर्शिता को बनाये रखना।

हमारी प्राथमिकताएंः

1. संगठित भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, त्वरित अनुसंधान एवं सफल अभियोजन।
2. आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले एवं आदतन रिश्वतखोर लोकसेवकों के विरूद्ध गुणवत्तापूर्ण/प्रभावी कार्यवाही।
3. राज्य सरकार की जन कल्याणकारी/फ्लैगशिप योजनाओं में भ्रष्टाचार के विरूद्ध नियोजित कार्यवाही।
4. पुराने लम्बित प्रकरणों, प्राथमिक जाँचों व परिवादों का प्राथमिकता से त्वरित व समयबद्ध निस्तारण।
5. परिवादियों के लम्बित कार्य को पूर्ण करवाना तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
6. आसूचना संकलन हेतु 1064, व्हाट्सएप नम्बर 9413502834 और ए.सी.बी. यूनिट्स की क्रियाशीलता का प्रचार।
7. ब्यूरो के अधिकारियों की अनुसंधान दक्षता एवं कार्यक्षमता में अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण।
8. ब्यूरो के कार्यालय भवनों का बेहतर रख रखाव, नवीन भवनों की उपलब्धता हेतु कार्यवाही तथा आधुनिक तकनीक के अनुसंधान उपकरणों की व्यवस्था।

हमारी कार्य पद्धतिः

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व संशोधित अधिनियम 2018 तथा प्रचलित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्य करता है। ब्यूरो भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उसका सत्यापन कर रिश्वत प्राप्त करने वाले लोक सेवकों को रंगे हाथों पकड़ता है। आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोग पंजीबद्ध कर कार्यवाही करता है। पद के दुरूपयोग संबंधी प्रकरणों में सक्षम अधिकारी से धारा 17क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पूर्वानुमति लेकर प्रकरण दर्ज किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए ब्यूरो की राजस्थान के समस्त जिलों में चौकियां व रेंज स्तर पर विशेष इकाईयां व इन्टेलीजेन्स इकाईयां स्थापित हैं। ब्यूरो मुख्यालय पर भी विशेष अनुसंधान इकाईयां एवं इन्टेलीजेन्स शाखा हैं। कोई भी नागरिक किसी लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर ब्यूरो मुख्यालय या ब्यूरो की किसी भी चौकी पर उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ब्यूरो में सूचना आप टोल फ्री हैल्पलाईन नं0 1064, व्हाटसअप हैल्पलाईन नं0 9413502834 पर 24X7 तथा पत्र, ई–मेल या टेलीफोन के द्वारा भी दे सकते हैं।